

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक—पि0व0/विविध-25-20/2017-62, पटना, दिनांक— 02/07/2025

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:— वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत राज्य में वर्तमान में संचालित 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालनार्थ कुल राशि रु० 2,80,57,946/- (रु० दो करोड़ , अस्सी लाख संतावन हजार नौ सौ छियालीस) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या—...61... दिनांक—02/07/2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत वर्तमान में राज्य में संचालित 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालनार्थ कार्यालय व्यय (1301) मद में कुल राशि रु० 54,97,346/- (रु० चौवन लाख संतानवे हजार तीन सौ छियालीस) मात्र तथा संविदा सेवाएँ (2802) मद में कुल राशि रु० 2,25,60,600/- (रु० दो करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार छः सौ) मात्र अर्थात् कुल राशि रु० 2,80,57,946/- (रु० दो करोड़ अस्सी लाख संतावन हजार नौ सौ छियालीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में संचालित 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालनार्थ संलग्न विवरणी के अनुसार कार्यालय व्यय (1301) मद में कुल राशि रु० 54,97,346/- (रु० चौवन लाख संतानवे हजार तीन सौ छियालीस) मात्र तथा संविदा सेवाएँ (2802) मद में कुल राशि रु० 2,25,60,600/- (रु० दो करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार छः सौ) मात्र अर्थात् कुल राशि रु० 2,80,57,946/- (रु० दो करोड़ अस्सी लाख संतावन हजार नौ सौ छियालीस) मात्र आवंटित की जाती है।

2—उक्त संपूर्ण आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत मांग संख्या-11- के मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष- 1301 कार्यालय व्यय तथा 28.02 संविदा सेवायें" विपत्र कोड-11-2225-03-277-0101 के अधीन विकलनीय होगा।

3—इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी किये जाने के पश्चात इसे बही अंतरण (Book Transfer) के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी0एल0 खाता संख्या—PTSP007 में Ledger Name- Pre Examination Training Centre Schemes में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। इसका संव्यवहार (Transaction) नियमानुसार प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना द्वारा किया जायेगा। राशि के व्यय की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना की होगी। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

4— राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक- 17.04.1998 तथा समर्थ-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों एवं विभागीय परिपत्रों में निहित निदेशों/प्रावधान के आलोक में करेंगे।

P.T.O

5- प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा एवं इसका पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जायेगा तथा निगम संबंधित व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजेंगे।

6-प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7-प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार ठाकुर),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/विविध-25-20/2017 -62

पटना, दिनांक- 02/07/2025

प्रतिलिपि:- (1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) अपर सचिव/निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/विविध-25-20/2017 -62

पटना, दिनांक- 02/07/2025

प्रतिलिपि:- माननीय (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम चार माह के लिए आवंटित राशि की विवरणी:-

विपत्र कोड-11-2225-03-277-0101

वित्तीय वर्ष 2025-26

क्र०सं०	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	13.01, कार्यालय व्यय	28.02 सविदा सेवाएँ	कुल
1	पटना (पटना विश्वविद्यालय, पटना)	144667.00	593700.00	738367.00
2	पटना (ए०एन० कॉलेज, पटना)	144667.00	593700.00	738367.00
3	मुजफ्फरपुर	144667.00	593700.00	738367.00
4	गया	144667.00	593700.00	738367.00
5	सारण (छपरा)	144667.00	593700.00	738367.00
6	दरभंगा	144667.00	593700.00	738367.00
7	भागलपुर	144667.00	593700.00	738367.00
8	मोजपुर (आरा)	144667.00	593700.00	738367.00
9	मधेपुरा	144667.00	593700.00	738367.00
10	पूणियाँ	144667.00	593700.00	738367.00
11	सहरसा	144667.00	593700.00	738367.00
12	मुंगेर	144667.00	593700.00	738367.00
13	मधुबनी	144667.00	593700.00	738367.00
14	वैशाली (हाजीपुर)	144667.00	593700.00	738367.00
15	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	144667.00	593700.00	738367.00
16	प० चम्पारण (बेतिया)	144667.00	593700.00	738367.00
17	नालंदा (बिहार शरीफ)	144667.00	593700.00	738367.00
18	सासाराम (रोहतास)	144667.00	593700.00	738367.00
19	कैमूर (ममुआ)	144667.00	593700.00	738367.00
20	बक्सर	144667.00	593700.00	738367.00
21	सीवान	144667.00	593700.00	738367.00
22	गोपालगंज	144667.00	593700.00	738367.00
23	सीतामढ़ी	144667.00	593700.00	738367.00
24	अररिया	144667.00	593700.00	738367.00
25	किशनगंज	144667.00	593700.00	738367.00
26	लखीसराय	144667.00	593700.00	738367.00
27	तेखपुरा	144667.00	593700.00	738367.00
28	जमुई	144667.00	593700.00	738367.00
29	सुपौल	144667.00	593700.00	738367.00
30	बेगूसराय	144667.00	593700.00	738367.00
31	बाँका	144667.00	593700.00	738367.00
32	नवादा	144667.00	593700.00	738367.00
33	समस्तीपुर	144667.00	593700.00	738367.00
34	खगड़िया	144667.00	593700.00	738367.00
35	औरंगाबाद	144667.00	593700.00	738367.00
36	जहानाबाद	144667.00	593700.00	738367.00
37	नालंदा (राजगीर)	144667.00	593700.00	738367.00
38	कटिहार	144667.00	593700.00	738367.00
	कुल	5497346.00	22560600.00	28057946.00

(रु० दो करोड़ अस्सी लाख सत्तावन हजार नौ सौ छियालीस मात्र)

पत्रांक- 62.

दिनांक 02/07/25 का अनुलग्नक

सरकार के अपर सचिव